महत्वपूर्ण

संख्या 4219 /नौ-4-12-43ज/2012

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

नगर विकास अनुभाग-4

लखनऊः दिनांक-31 अक्टूबर, 2012

विषय- नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानीय नागर निकायों/जल निगम/जल संस्थानों में की जा रही नियुक्तियों पर शासन की पूर्वानुमति के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में इस प्रकार के प्रकरण लाए गए हैं कि कतिपय स्थानीय नागर निकायों में आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी विभिन्न संवर्गों/पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। उक्त नियुक्तियों से जहाँ एक तरफ निकायों पर अनावश्यक वित्तीय व्ययभार बढ़ता है, वही दूसरी तरफ भविष्य में बहुत सारे न्यायिक वाद उत्पन्न होते है, जिससे राज्य सरकार के समक्ष विषम स्थिति उत्पन्न होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार के पक्ष को बनाये रखना न केवल व्ययसाध्य होता है, अपितु इस प्रकिया में राज्य सरकार का बहुमूल्य समय भी व्यर्थ जाता है।

2. आप अवगत हैं कि कार्मिक विभाग द्वारा भर्ती/नियुक्तियों के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि संविदा/दैनिक वेतन पर कार्मिक नहीं रखे जायेंगे। शासन स्तर से भी संविदा पर नियुक्तियां प्रतिबन्धित कर दी गयी है।

3. वर्तमान में नागर निकायों पर वेतन आदि पर बढ़ते व्यय भार से अधिकांश नागर निकायें जहाँ एक तरफ अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किये जाने में अपने को असमर्थ पा रही है, वही दूसरी तरफ निकायों में धनाभाव के कारण आधारभूत संरचना का विकास न हो पाने के कारण निकायों द्वारा अपने नागरिकों को जनसुविधायें उपलब्ध नहीं करायी जा पा रही है। उक्त स्थिति निकायों द्वारा बिना अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति एवं भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का आंकलन किये हुए ही नियुक्तियां कर दिये जाने के कारण उत्पन्न हुई है।

4. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में गम्भीर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानीय नागर निकायों/जल संस्थानों तथा जल निगम में की जाने वाली समस्त नियुक्तियों हेतु शासन की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। यदि किसी निकाय/संस्था में कार्यहित में नियुक्तियां किया जाना अपरिहार्य हो, तो इस हेतु पूर्ण औचित्य के साथ निकाय/संस्था की आर्थिक स्थिति के विवरण सहित प्रस्ताव शासन की पूर्वानुमति हेतु प्रेषित किया जाए व शासन की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

-1128-G.O.2011-2

संख्या-4819 (1)/चौ-4-12-43ज/12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, स्थानीय नगर निकाय, उत्तर प्रदेश।
5. कम्प्यूटर सेल।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आरoपीoसिंह)
उप सचिव।